संख्या : 79/चौवालिस–2/1990

प्रेषक,

श्री एस० माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 3 फरवरी, 1995

विषय :– प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में अनुत्पादक व्ययों में मितव्ययता के सम्बन्ध में विगत में आदेश जारी किये जाते रहे हैं परन्तु शासन की जानकारी में यह आया है कि इन आदेशों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- इस विषय पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नई अतिरिक्त गाड़ियों का क्रय सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति के बिना कदापि न किया जाय तथा निगमों/उपक्रमों के रु० 3700-5000 से निम्नस्तर के अधिकारियों को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई आवासीय टेलीफोन स्वीकृत न किये जायें।

भवदीय,
[आर० एस० माथुर]
प्रमुख सचिव।